

ग्राम भुगतान (रेता डाक इकाई) के प्रेषण
हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़
गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक
30-05-2001."



प्रकाशित/30/09/2016

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

[क्रमांक 304]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 अगस्त 2016 — श्रावण 21, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अगस्त 2016

क्रमांक 7725/डी. 213/21-अ/प्राल./छ. ग./16. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 09-08-2016 को
राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षी. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

(क्रमांक 28 दंन् 2016)

छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2016

छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्र. 19 सन् 1958) को और संशोधित करने हेतु
अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा।
- धारा 6 का संशोधन. 2. (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
- (एक) खण्ड (क) में, अंक एवं शब्द “25,000 रुपये” के स्थान पर, अंक एवं शब्द “5,00,000 रुपये” प्रतिस्थापित किया जावे; तथा
- (दो) खण्ड (ख) में, अंक एवं शब्द “50,000 रुपये” के स्थान पर, अंक एवं शब्द “10,00,000 रुपये” प्रतिस्थापित किया जाये।

रायपुर, दिनांक 12 अगस्त 2016

क्रमांक 7725/डी. 213/21-अ/प्राल./च. ग./16.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12-08-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव।

CHHATTISGARH ACT
(No. 28 of 2016)

THE CHHATTISGARH CIVIL COURTS (AMENDMENT) ACT, 2016

An Act further to amend the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (No. 19 of 1958).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-seventh Year of the Republic of India, as follows : -

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Civil Courts (Amendment) Act, 2016.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 6.

2. In sub-section (1) of Section 6 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (No. 19 of 1958), -

(i) In clause (a), for the word and figure "Rupees 25,000", the word and figure "Rupees 5,00,000" shall be substituted; and

(ii) In clause (b), for the word and figure "Rupees 50,000", the word and figure "Rupees 10,00,000" shall be substituted.

